प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 32/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाएं विनियम'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली 26 मई, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाएं विनियम'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. गतिशील टैरिफ नीतियां दूरसंचार क्षेत्र की विशेषता है, जो विभिन्न टैरिफ योजनाओं, टैरिफ में बदलाव की आवृति, बंडल्ड प्रस्ताव आदि में प्रदर्शित होती है। हालांकि एक ओर यह गतिशीलता प्रत्येक उपभोक्ता की जरूरतों के अनुरूप नए उत्पाद की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार है, वहीं दूसरी ओर ये टैरिफ की शर्तों के बारे में गलत समझ या जागरूकता की कमी के कारण उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिल का कारण बन सकते हैं। यह सभी दूरसंचार सेवाओं विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाओं (आईएमआर सेवाएं) के लिए सच है। अन्य विकल्पों की तुलना में आईएमआर सेवा की विशिष्टता घरेलू ऑपरेटर की मोनोपॉली को प्रदर्शित करता है और मोनोपॉली शक्ति के किसी संभावित दुरुपयोग के लिए चिंता उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता के लिए प्रतिकूल नतीजे हो सकते हैं, चाहे ये अनुचित टैरिफ (उच्च दरें और उपयोग की प्रतिकूल शर्तों सहित) के रूप में या बढ़े हुए बिल के कारक टैरिफ के संचार में पारदर्शिता की सामान्य कमी के रूप में हो सकते हैं। भादूविप्रा को आईएमआर सेवाओं के उपयोग के कारण बढ़े हुए बिल के संबंध में एकल उपभोक्ताओं से बीच–बीच में शिकायतें मिलती रहती हैं।

3. तदनुसार, आईएमआर सेवाओं से संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। परामर्श का मकसद आईएमआर सेवाओं का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिल के कारकों का पता लगाना, इस समस्या से निपटने में मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना, अपने उपभोक्ताओं के बढ़े बिलों के मामलों को रोकने के लिए भारत में टीएसपी द्वारा अपनाई गई स्वैच्छिक नीतियों तथा उपायों का मूल्यांकन करना और विनियामक फ्रेमवर्क की पुनरीक्षा की आवश्यकता और विनियामक फ्रेमवर्क में उचित बदलाव करना है।

4. परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, भादूविप्रा की वेबसाइट पर परामर्श पत्र अपलोड किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर टिप्पणियां 23 जून, 2020 तक और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, 7 जुलाई, 2020 तक देने का अनुरोध किया गया है। टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अधिमानतः ईमेल advfea l@trai.gov.in पर भेज सकते हैं। टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड की जाएंगी।

5. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त एव आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर 91-11-23230752/23236650 (फैक्स) पर संपर्क किया जा सकता है।

6. परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।